यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी पौड़ी गढ़वाल के माह 04/2015 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुन्ना राम लेखापरीक्षक तथा श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 31.01.2018 से 03.02.2018 तक सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा सर्वश्री अशोक कुमार ले0प0 उदयवीर संह एवं वनीत निगम सहा. लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 27-4-2015 से 05-05-2015 तक श्री प्रेमचंद,लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2014 से 03/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी

(ii) (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः-जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल वभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों की भर्ती,सुदढीकरन,युवा महोत्सव का आयोजन,ग्रामीण क्षेत्रों से संबन्धित खेल वधा प्रतियो गता, वकास खण्ड स्तर पर व्यावसायिक प्र शक्षण,युवक/महिला मंगल दल का गठन,पंजीकरण एवं मार्गदर्शन,सर्वश्रेष्ठ युवक/महिला मंगल दलों को ववेकानन्द यूथ एवार्ड के अंतर्गत प्रोत्साहित कया जाना,खेल मैदानों का वकास एवं स्वयं सेवकों को व भन्न वभागों में कार्य निस्पादन हेतु ड्यूटी लगायी जाती है | त्कार्यालय का भौगो लक अ धकार क्षेत्र समस्त चमोली जनपद है |

इकाई को बजट आंवाटन- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है |

(अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)` (लाख में)	बचत (-) ` (लाख में)
	स्थापना ` (लाख में)	गैर स्थापना `(लाख में)	आवंटन` (लाख में)	व्यय` (लाख में)	आवंटन` (लाख में)	व्यय` (लाख में)		
2015-16			88.24	87.67	361.12	361.11	_	0.58
2016-17			115.53	107.85	260.47	260.36		7.79
2017-18(12/2017			1092.2	797.62	306.15	143.64		457.09

- अवशेष धनरा श वर्षांत में शासन को सम र्पत कर दी जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(धनरा श लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15					
2015-16					
2016-17(दिसंबर तक)	शून्य				

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड **सरकार** द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **स** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव
2. अपर स चव
3. निदेशक
4. वत्त नियंत्रक
5. संयुक्त निदेशक
6. उप निदेशक
7. सहायक निदेशक
8. सहायक समादेष्टा
9. सहायक लेखा धकारी
10. वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी

1- जनपद स्तर

1-जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी

2-व्यायाम प्र शक्षक

3-वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी /मुख्य सहायक

4-वरिष्ठ सहायक /कनिष्ठ सहायक

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी पौड़ी गढ़वाल को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी पौड़ी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016व 11/2018 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गय

(V) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर 01: रु 11.55 लाख अदेय एवं अनु चत मानदेय भुगतान

जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक कार्यालयों द्वारा जनपद के अंदर व्यावसायिक प्र शक्षण के कार्यक्रम आयोजित कए जाते है जिसके अन्तर्गत व भन्न प्रकार के स्वरोजगार सम्बन्धी प्र शक्षण प्रदान कए जाते है

लेखा अ भलेखों क जांच मे पाया गया क कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अ धकारी पौड़ी द्वारा वत्त वर्ष 2015 16 में व्यावसायिक प्र शक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सलाई प्र शक्षण प्रदान कया गया| जिसके अन्तर्गत 770 प्र शक्षणा थर्यों को तीन माह का सलाई प्र शक्षण कार्यक्रम का मानदेय प्रदान कया गया| प्र शक्षण में भाग लेने वाले प्र शक्षणा थर्यों को मा सक मानदेय के रूप मे कुल रु 11.55 लाख की धनरा श वतरित की गई| जिसका ववरण निम्नानुसार है|

व्यावसायिक प्र शक्षण के अंतर्गत सलाई प्र शक्षणा थर्यों को मानदेय का भुगतान

बिल संख्या	लाभा थर्यों की संख्या	दर	धनरा श
162	205	500	307500
166	121	500	181500
169	74	500	111000
170	52	500	78000
172	49	500	73500
174	28	500	42000
175	45	500	67500
176	50	500	75000
179	50	500	75000
197	7	500	10500
199	25	500	37500
202	23	500	34500
200	25	500	37500
222	16	500	24000
योग	**770**	-	**1155000**

जांच मे आगे पाया गया क प्र शक्षणा थर्यों को मा सक मानदेय देने हेतु कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं है एवं न ही कसी प्रकार क वशेष स्वीकृति शासन अथवा उच्चा धकारियों से ली गई है|

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया क इस संबंध मे शासनादेश उपलब्ध नहीं है मानदेय का भुगतान जिला युवा कल्याण अ धकारी द्वारा जिला योजना मे प्रस्ता वत कया गया था|

इकाई के उत्तर से स्पष्ट है क व्यावसायिक प्र शक्षणों मे प्र शक्षणा र्थयों को मानदेय देने का कोई प्रावधान नहीं था एवं प्र क्षणा र्थयों को अनु चत तरीके से लाभ पहुचाने की दृष्टि से मानदेय का भुगतान कया गया|

अतः प्र शक्षणा र्थयों को अनु चत तरीके से लाभ पहुचाने की दृष्टि से रु 11.55 लाख के अदेय भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 02: रु 9.71 लाख का अदेय एवं अनु चत मानदेय भुगतान

उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं 04/VI-2/2015 -61(10)12 दिनांक 13 जनवरी 2015 के अनुसार स्वयंसेवकों को प्रतिदिन प्रति स्वयंसेवक रु 350 मानदेय भुगतान कया जाना था|उल्लेखनीय तथ्य यह है की मानदेय दैनिक आधार पर एवं उपस्थिति और 08 घण्टे की ड्यूटी पर ही दिया जाना स्वीकृत है|

लेखा अ भलेखों की जांच मे पाया गया क कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अ धकारी पौड़ी द्वारा उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा 2016 मे व भन्न परीक्षा केन्द्रो पर ड्यूटी लगाई गई| उक्त ड्यूटी हेतु स्वयंसेवकों को रु 22.24 लाख की धनरा श दैनिक मानदेय के रूप मे भुगतान की गई|भुगतान का ववरण निम्नानुसार है|

प्रा० र० द० स्वयंसेवकों को अ धक मानदेय का भुगतान

बिल संख्या	देय धनरा श	भुगतान	अदेय भुगतान
187	100800	174650	73850
190	132300	235200	102900
192	756000	1344000	588000
193	56700	100800	44100
201	207900	369600	161700
योग	**1253700**	**2224250**	**970550**

जांच मे आगे पाया गया क स्वयंसेवकों को उक्त सम्पूर्ण परीक्षा अव ध (31/32 दिन) का भुगतान कया गया जब क उक्त अव ध मे मात्र 18 दिनों मे परीक्षा आयोजित की गई| और नियमानुसार स्वयंसेवकों को मात्र 18 दिन का दैनिक मानदेय भुगतान कया जाना चाहिए था| जांच मे यह भी पाया गया क उक्त भुगतान के पूर्व स्वयंसेवकों क उपस्थिति संबंधी अ भलेख /मस्टर रोल न तो प्राप्त कए गए और न ही उनके सत्यापन क प्र क्रया पूर्ण की गई| तथ्यो से स्पष्ट है क स्वयंसेवकों को अनु चत तरीके से लाभ पहुचाने क दृष्टि से अदेय मानदेय का भुगतान कया गया|

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई कोई स्पष्ट उत्तर देने या अ भलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने मे असमर्थ थी|

अतः स्वयंसेवकों को अनु चत तरीके से लाभ पहुचाने क दृष्टि से रु 9.71 के अदेय भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है|

भाग दो ब

प्रस्तर:**3** : अनुरक्षण कार्य पर रुपये 3.00 लाख का अप्रासंगक व्यय।

कार्यादेश संख्या 65/प्रारद/2-लेखा/2015-16 दिनांक 12/5/2016 द्वारा ज़िला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधकारी पौड़ी द्वारा आयोजनेततार मद में अनुरक्षण के अंतर्गत 2015-16 के संस्तुत कार्य युवा केंद्र में पुताई पेंट दीवाल निर्माण बिजली फटिंग का कार्य हेतु रुपये 3.00 लाख के सशर्त आदेश जारी कए। उक्त कार्य हेतु क्षेत्रीय युवा कल्याण अधकारी खरसू को निम्न प्रकार भुगतान कया गया:

दिनांक 16/5/16 रुपये 150000/

दिनांक 06/08/2016 रुपये 100000/

दिनांक 20/9/16 रुपये 50000/

योग 300000/

पत्रावली की जांच में पाया गया क उक्त कार्यों पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधकारी खरसू द्वारा निम्न प्रकार भुगतान कया गया:

दिनांक	आपूर्ति करता का नाम	धनराश
02/06/2016	गढ़वाल आइरन मर्चेन्ट	47190
06/06/2016	उत्तरांचल हार्डवेर स्टोर	40910
10/06/2016	नईम आइरन मर्चेन्ट	20630
योग		108730

इसके अतिरिक्त दिनांक 1/6/2016 से दिनांक 25/11/2016 तक 20 मजदूरों से प्रतिदिन ठेके पर कार्य कराया गया एवं रुपये 174/प्रतिदिन क दर से रुपये 191400 का भुगतान क्षेत्रीय युवा कल्याण अधकारी खरसू द्वारा कया गया। इस प्रकार कुल उक्त कार्यों पर रुपये 300130 का व्यय कया गया।

पत्रावली में कार्यादेश में वर्णत निर्देश 4 का अनुपालन के संबंध में कोई भी अभलेख व सूचना उपलब्ध नहीं पाई गयी।

जांच में यह भी पाया गया क उक्त कार्य हेतु 121 बैग सीमेंट का करार कया गया था परंतु कार्य हेतु कोई भी मस्त्री/राज मस्त्री नहीं लगाया गया। 36 मीटर जी आई पाइप का क्रय भी कया गया परंतु मस्त्री द्वारा शौचालय के निर्माण कार्य हेतु एक भी एसेसरी नहीं क्रय क गई और न ही कसी प्लमबर का सहयोग लया गया। सम्पूर्ण कार्य 20 मजदूरों द्वारा कराये दर्शाये गए।

कार्यादेश के निर्देशों के अनुसार कार्य कनिष्ठ अभयंता लघु संचाई के तकनीकी निर्देशन में कया जाना था परंतु पूरे निर्माण कार्य में उक्त कनिष्ठ अभयंता द्वारा कार्य का प्रमाणन दर्ज़ नहीं पाया गया और न ही कार्य क माप पुस्तिका की पेज संख्या व्यय बिलों में दर्ज पायी गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध मे पूंछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क इस संबंध में तत्कालीन जिला युवा कल्याण अधकारी से उत्तर प्राप्त कर अवगत कराया जाएगा, कार्य क माप पुस्तिका प्रस्तुत कर दी गयी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंक संबन्धित कार्य की पत्रावली इकाई में उपलब्ध नहीं थी और उस पत्रावली में जाँच का कोई बिल मौजूद नही था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
198/2006-07	-	02
21/2010-11	1,2	शून्य
188/2013-14	शून्य	1,2
06/2015-16	1	5

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई ने अवगत कराया कि पुराने प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेशित कर दी जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

………………………………………………………Nil……………………………………………………………

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी पौड़ी गढ़वाल तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) Nil

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

नाम	पदनाम	अव ध
श्री सत्यपाल संह नेगी	जि.यु.क.एवं प्रा.र.द.अ.	04/2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी पौड़ी गढ़वाल को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.